

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि
श्री/श्रीमती/कुमारी _____
आत्मज/आत्मजा _____ ग्राम/शहर
जिला/विभाग _____

राज्य/संघ क्षेत्र _____ जाति/जनजाति का है जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में निम्नांकित के अधीन मान्य है।

* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950

* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950

* संविधान (अनुसूचित जाति) (संघराज्य) आदेश 1951

* संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघराज्य) आदेश 1951

(अनुसूचित जाति व जनजाति जनजाति सूचियां (संशोधन) आदेश बंबई पुर्नगठन अधिनियम 1960, पंजाब पुर्नगठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1980, उत्तर पूर्वी प्रदेश (पुर्नगठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जनजातियों (संशोधन) अधिनियम 1976 के संशोधन के अनुसार)

* संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956

* संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जनजातियों आदेश 1989

* संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीप) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959

* संविधान (दादरा व नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962

* संविधान (दादरा व नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962

* संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964

* संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश 1967

* संविधान (गोवा दमन व दियू) अनुसूचित जाति आदेश 1968

* संविधान (गोवा दमन व दियू) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968

* संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश 1970

* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश 1978

* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश 1978

2. ** यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती _____
श्री/श्रीमती _____ के माता/पिता को जिले/राज्य विभाग/संघीय क्षेत्र _____
_____ में प्रदत्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आधार पर प्रदत्त है जो _____
जाति/जनजाति का है और वह राज्य संघक्षेत्र _____ में _____
_____ से (निर्धारित अधिकारी का नाम दें) प्रदत्त पत्र के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ और उसका परिवार साधारणतः राज्य/
संघक्षेत्र के जिले /प्रांत के _____ गाँव/शहर में निवास करता है।

हस्ताक्षर

पदनाम _____

(कार्यालय मुहर सहित)

स्थान : _____

दिनांक : _____

राज्य/संघराज्य क्षेत्र _____

... 2/-

// 2 //

(अनुपयुक्त शब्दों को छोड़कर)

** केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उन व्यक्तियों के लिए लागू जो एक प्रदेश/संघराज्य क्षेत्र से प्रवासित हुए हैं (रोजगार समाचार 9/92)

ध्यान दें : साधारणतः निवास के लिए प्रयुक्त शब्दावली का वही अर्थ होगा जो उन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 20 में है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए अधिकृत की सूची :

- (1) जिला न्यायधीश/अपर जिला न्यायधीश/जिलाधिकारी/उप आयुक्त/अपर उप आयुक्त/उप जिलाधिकारी/प्रथम श्रेणी स्टैंपेंडरी न्यायधीश/उप मण्डल न्यायधीश/तालुका न्यायधीश/कार्यकारी न्यायधीश/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी स्टैंपेंडरी न्यायधीश रैंक से कम नहीं)
- (2) मुख्य महाप्रांत न्यायधीश/अपर मुख्य महाप्रांत न्यायधीश/महाप्रांत न्यायधीश
- (3) तहसीलदार रैंक से कम न रहने वाले राजस्व अधिकारी
- (4) क्षेत्र का उप प्रभागीय अधिकारी जहां अभ्यर्थी या उसके परिवार रहता है।